भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 18
उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं

†18. श्री चन्देश्वर प्रसाद:
श्री एस.आर. पार्थिबन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर बिहार और तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2021-22 और 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा के लिए एप्लीकेशनों के माध्यम से स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन शिक्षा जैसी अवसंरचना विकसित करने और ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तैयार की गई कार्य योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए आवंटित बजट की राशि कितनी है; और
(घ) सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। समग्र शिक्षा, पूर्व-विद्यालय से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो वर्ष 2018-19 से बिहार और तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के लिए

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न के अनुसार समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा के तहत, विभिन्न हस्तक्षेपों जैसे स्कूल खोलना/सुदृढ़ करना, मुफ्त पाठ्यपुस्तकों और वर्दी का प्रावधान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सहित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना और संचालन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की समावेशी शिक्षा का प्रावधान, परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधा, शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, खेल और शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग): समग्र शिक्षा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल बोर्ड आदि के लिए सहायता सहित आईसीटी प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना के लिए विभिन्न आईसीटी और डिजिटल पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं के अनुमोदन का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में रहने वाले छात्रों सहित प्रत्येक छात्र के लिए निर्बाध शैक्षिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है।

17 मई, 2020 को आत्म निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। इस पहल में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- दीक्षा - राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्कूल शिक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा: और सभी कक्षाओं (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोडित सक्रिय पाठ्यपुस्तकें

- कक्षा 1 से 12 तक प्रति कक्षा एक निर्धारित स्वयं प्रभा टीवी चैनल (एक कक्षा, एक चैनल)
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग- शिक्षा वाणी
- दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेज़ी) और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में विकसित विशेष ई-सामग्री

जहां डिजिटल सुविधा (मोबाइल डिवाइस/डीटीएच टेलीविजन) उपलब्ध नहीं है, वहां शिक्षा मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और सीबीएसई की शिक्षा वाणी नामक पॉडकास्ट, शिक्षार्थियों के निवास पर पाठ्यपुस्तकें, वर्कशीट की आपूर्ति आदि जैसी कई पहलें की हैं।

इसके अलावा, अधिगम समाधान के लिए एक वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के डिवाइस वाले और डिवाइसरहित बच्चों का स्व-मूल्यांकन सहित अधिगम समाधान शामिल हैं। आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में पढ़ रहे स्कूल से बाहर के बच्चों के अधिगम अंतराल को पाटने के लिए ब्रिज कोर्स मॉड्यूल भी विकसित किए गए हैं। साथ ही, विभिन्न माध्यमों के जरिए निरंतर शिक्षा को सुगम बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रज्ञता दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी परिस्थितियां शामिल हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या बहुत कम बैंडविड्थ के साथ उपलब्ध है वहां ऐसे संसाधनों को टेलीविजन, रेडियो आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों, जो इंटरनेट पर निर्भर नहीं हैं, के माध्यम से साझा किया जाता है। इसी तरह, कोविड़-19 के दौरान बच्चों के अधिगम में सहायता करने के लिए स्टूडेंट्स लर्निंग एन्हांसमेंट गाइडलाइंस को 2020 में जारी किए गए थे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ई-कंटेंट के विकास के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल बंद होने के दौरान और उसके बाद घर-आधारित शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी के लिए दिशानिर्देश भी 2021 में जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने कोविड प्रकोप के दौरान और उसके बाद छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु कार्यकलापों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ 'मनोदर्पण' नामक एक पहल की शुरूआत की है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने 'डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट' तैयार की है जो देश भर में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से डिजिटल और दूरस्थ शिक्षा पहल को दर्शाती है। इस रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए लिंक निम्नवत है:

डिजिटल शिक्षा 2020 पर भारत रिपोर्ट:

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/India_Report_Digital_Education_0.pdf

डिजिटल शिक्षा 2021 पर भारत रिपोर्ट:

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/irde_21.pdf

******

अनुलग्नक

शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री चन्देश्वर प्रसाद और श्री एस.आर. पार्थिबन द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी और स्मार्ट क्लासरूम संबंधी अनुमोदन को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

(रू. करोड़ में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आईसीटी लैब				स्मार्ट क्लासरूम			
	वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	8	3.0	3.5	0	0	0.0	0.0
आंध्र प्रदेश	917	710	59.3	60.5	1096	435	26.9	11.6
अरुणाचल प्रदेश	43	39	5.6	7.0	0	107	0.0	0.0
असम	1859	645	155.0	108.2	3643	240	87.4	12.7
बिहार	0	2454	0.0	180.9	2739	126	65.7	8.2
चंडीगढ़	2	0	0.3	0.2	89	95	2.1	0.6
छत्तीसगढ	67	0	13.8	0.0	2714	0	70.9	5.8
दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली	28	25	2.2	3.2	84	51	2.0	1.5
दिल्ली	0	7	0.0	0.5	895	45	21.5	1.1
गोवा	0	0	0.2	0.2	0	0	0.0	0.0
गुजरात	0	0	0.0	0.0	4335	0	104.0	0.0
हरियाणा	232	113	18.3	23.0	1154	342	29.0	18.4
हिमाचल प्रदेश	480	282	35.7	32.2	1632	616	39.2	19.1
जम्मू और कश्मीर	220	203	51.8	60.5	518	834	12.4	22.6
झारखंड	896	504	79.1	95.2	519	121	12.5	3.7
कर्नाटक	764	0	63.7	0.0	0	1768	0.0	42.4
केरल	0	0	0.0	0.0	115	257	2.8	6.4
लद्दाख	6	16	2.1	3.4	38	8	0.5	0.1
लक्षद्वीप	0	0	0.3	0.3	0	0	0.2	0.0

मध्य प्रदेश	441	0	28.2	0.0	700	658	16.8	19.4
महाराष्ट्र	0	0	0.0	0.0	887	2405	21.3	57.7
मणिपुर	28	34	10.0	11.5	311	140	7.4	4.8
मेघालय	25	28	5.7	8.5	0	14	0.0	0.4
मिजोरम	0	62	0.8	5.7	201	28	4.8	1.1
नगालैंड	0	0	0.0	0.0	74	47	2.7	1.2
उड़ीसा	302	0	43.4	0.0	4471	2119	107.3	50.9
पुदुचेरी	6	0	1.1	0.0	100	45	2.4	1.1
पंजाब	435	559	37.5	45.4	2872	649	68.9	15.6
राजस्थान	398	412	38.1	55.4	5509	408	66.1	12.9
सिक्किम	82	0	8.9	4.6	238	32	5.7	1.6
तमिलनाडु	1893	2211	149.9	185.4	865	0	20.8	2.5
तेलंगाना	0	94	39.1	19.6	3010	0	72.2	0.0
त्रिपुरा	239	294	22.8	32.8	249	563	6.0	15.1
उत्तर प्रदेश	0	289	0.0	18.5	543	18444	13.0	442.7
उत्तराखंड	240	0	34.6	22.1	709	195	17.0	6.6
पश्चिम बंगाल	1173	0	93.3	0.0	0	0	0.0	0.0
कुल	**10778**	**8989**	**1003.8**	**988.2**	**40310**	**30792**	**909.6**	**787.4**

स्रोत: प्रबंध